न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2012 पुनरीक्षण R 3232-I/12

श्री मुकेश ... द्वारा आज दि. 22.9.12 को प्रस्तुत

22.9.12

राजस्व मण्डल म.प्र.

1 उपेन्द्र प्रसाद

2 ... प्रसाद

3 ...क प्रसाद

4 ...न्द्र प्रसाद

सभी पुत्रगण कपिल मुनी द्विवेदी

निवासीगण ग्राम मुड़वानी तहसील

चितरंगी जिला सिंगरौली म.प्र.

विरुद्ध

1. ... पिता मैकुआ चमार

2. ... पिता बुटिया चमार

दोनों निवासी ग्राम- मुड़वानी

हाल निवासी ग्राम- कुरैडा

तहसील सिहावल जिला- सीधी

3. प्रवीण कुमार पिता लक्ष्मीनारायण

निवासी ग्राम–मुड़वानी

तहसील–चितरंगी जिला– सीधी

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 3232–एक/12 जिला – सिंगरोली

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17.6.14	यह निगरानी तहसीलदार, तहसील चितरंगी जिला सिंगराली द्वारा राजस्व प्रकरण कमांक 8/अ–70/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 4–9–12 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । आलोच्य आदेश द्वारा तहसीलदार ने उभयपक्षों को सुनने के उपरांत प्रकरण को प्रचलनशील माना है और आवेदक को साक्ष्य पेश करने के आदेश दिए हैं । तहसीलदार के इस अंतरिम आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है । 2-- आवेदक एवं अनावेदक कमांक 1 एवं 2 द्वारा लिखित बहस पेश की गई है । अनावेदक कमांक 3 प्रकरण में एकपक्षीय है । 3– उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया तथा आलोच्य आदेश का अवलोकन किया । यह प्रकरण अनावेदक कमांक 1 एवं 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में संहिता की धारा 250 के तहत प्रस्तुत आवेदन पर प्रांरभ हुआ है । आलोच्य आदेश द्वारा तहसीलदार ने उभयपक्षों को सुनने के उपरांत अनावेदक द्वारा प्रस्तुत प्रकरण को प्रचलनशील माना है और आवेदक को साक्ष्य पेश करने के आदेश दिए हैं। चूंकि प्रकरण विचारण न्यायालय में लंबित है जहां उभयपक्ष को अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा ऐसी स्थिति में इस स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही में हस्तक्षेप का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है । आवेदक जो तर्क इस न्यायालय के समक्ष उठा रहे हैं उन्हें वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उठाने हेतु स्वतंत्र	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

हैं, जिन पर विधिवत विचार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय लिया जायेगा । परिणामतः यह निगरानी अपरिपक्व होने के कारण अस्वीकार की जाती है ।

उभयपक्ष सूचित हों । अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख वापिस हों ।

(एम.के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मंडल, म0प्र0, ग्वालियर